न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आरएएस)

प्रार्थना पत्र संख्या :–03/50/2024 ऑनलाईन नम्बर–2024/200 प्रवेश तिथि–05/04/2024

1. नन्दकिशोर पुत्र श्योसहाय जाति ब्राहम्ण आयु करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर। ——— प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार साहब टहला जिला अलवर।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251–क

उपस्थित : 1 श्री जितेन्द्र सैनी एड0 – वादी

दिनांक 06.02.2026

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 251–क का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी हाल ख0न0 3096/0.08 हैक्टर वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण बुजुर्गान के समय से काबिज होकर काश्त करतें चले आ रहे है प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने का कदीमी रास्ता ग्राम तालाब तहसील टहला की अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 3098 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर के में होकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 3096/0.08 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर तक जाता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु हल बैल टैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी की खोतदारी की आराज़ी खसरा नम्बर 3098 में होकर 20 फुट चौडा रास्ता को न्यायहित निर्धारण किया जाकर उक्त रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी एवं नक्शा में अंकन किए जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार टहला द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ के द्वारा अपने पत्र क्रमांक /भू.अ. /2025/28914 दिनांक 31.10.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार टहला की मौका जॉच रिपोर्ट के तथ्य निम्न प्रकार है–

यह है कि आराजी खसरा संख्या 3096/0.08 किस्म बंजड में नन्दकिशोर पुत्र श्योसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी तालाब तहसील टहला जिला अलवर के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी को उक्त अपनी आराजी में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता जिसके लिए एक मात्र विकल्प खसरा नम्बर 3098 सिवायचक है। जो दुसरी तरफ पूर्व में रिकार्डेड रास्ते के लगती हुई है। आराजी खसरा संख्या 3098 में प्रार्थी को रास्तें में कुल उपयोग मे कुल भूमि का लगभग 0.03 है0 भूमि उपयोग में आयेगी।

4. वहस विद्वान वकुलाय की सुनी गई। वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्योपान्त किया एवं मौका जॉच रिपोर्ट तहसीलदार टहला का भली भांति अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

5. अब प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

धारा 251–क–अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना (1) जहाँ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिप्त जाँच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भुमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह स कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये , भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूठ से एक नया मार्ग जो 30फिट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रिति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहाँ–उपधारा (1) के अधिन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहा ऐसे मार्ग को समाविष्ठ करने वाली उस भूमि के सम्बंध में अभिग्रति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

उक्त धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के उद्धरण से स्पष्ट है कि
रा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक आमद–रफत हेतु अन्य
ातेदारी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है।
इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना
ं प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form 1, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner :-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee [constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee [constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule] (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure,] the amount of actual loss or damages shall also be determined.

8. उपरोक्त विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण द्वारा दौराने–ए–बहस प्रस्तुत तर्कों का विश्लेषण आवश्यक प्रतीत होता है। कि मुताबिक तहसीलदार टहला रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है धारा 251–ए के प्रावधानों के अलोक में पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया। धारा 251–ए के तहत बाबत मार्ग स्वीकार करने हेतु रास्ते की नितांत आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना अति आवश्यक है। लेकिन प्रार्थी ने जिस खसरा संख्या 3098 में से होकर रास्ते की मांग की वह खसरा सिवायचक/सरकारी खसरा है। मै स्वयं पीठासीन अधिकारी ने मौका निरीक्षण किया गया जो आराजी खसरा संख्या 3096 में जाने के लिए आराजी खसरा संख्या 3098 सिवायचक खसरे में होकर रास्ता मौके पर चालू है। जिससे प्रार्थी रास्ते मे उपयोग उपभोग लेते चले आ रहा है। दौराने मौका निरीक्षण प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता सिद्व नही होती है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया जिससे की रास्ते की नितांत आवश्यकता सिद्व हो सके। अतः धारा 251–क में वर्णित प्रावधानों सिद्व न होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज किये जाने योग्य है।

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नही हाने के कारण खारिज किया जाता है

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।
यह आदेश आज दिनांक 06.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर